कार्मिकों को तनावमुक्त करने के लिये CRPF ने लॉन्च किया चौपाल

drishtiias.com/hindi/printpdf/crpf-launches-chaupal-to-de-stress-personnel

हाल ही में **केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल** (CRPF) ने अपने कर्मियों के **मानसिक तनाव को दूर करने के लिये 'चौपाल'** जैसे **गेट-टुगेदर कार्यक्रम** शुरू करने का फैसला किया है।

चौपाल, ग्रामीण क्षेत्रों में एक लोकप्रिय बैठक/समागम जैसी गतिविधि है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
    - सप्ताह में एक या दो बार, 18-20 कर्मचारी बाहर (संभवतः एक पेड़ के नीचे) एक घेरे में कुर्सियों पर बैठेंगे। चौपाल, जिसकी योजना पहले से ही निर्धारित होगी, में **सभी रैंक के कर्मी शामिल होंगे** और ये सभी सिविल ड्रेस में होंगे न कि वर्दी में।
        - कंपनी, प्लाटून या सेक्शन कमांडरों को अनिवार्य रूप से चौपाल "ग्रुप शेयरिंग अभ्यास" का हिस्सा होना होगा।
    - **वरिष्ठ अधिकारी** सैनिकों की कठिनाइयों और अन्य मुद्दों (जो मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं) को जानने के लिये उनके साथ **बातचीत करेंगे**।
        - इन कार्मिकों की प्रणाली में नियमित योग कक्षाएँ, दैनिक व्यायाम, परामर्श और अन्य उपचारात्मक उपाय पहले से शामिल हैं, लेकिन मानसिक तनाव तथा इन बलों की थकान को दूर करने के लिये कुछ और करने की आवश्यकता है।
- **आत्महत्या की घटनाएँ**
    - वर्ष 2020 से सितंबर 2021 तक सबसे बड़े अर्द्ध-सैनिक बल में आत्महत्या के 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। वर्ष 2021 में सबसे अधिक भ्रातृहत्याएँ (Fratricides) की गईं।
    - वर्ष 2017, वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल में आत्महत्या करने वालों की संख्या क्रमशः 38, 38, 43 और 60 थी।
- **आत्महत्या के कारण**
    - घरेलू समस्याएँ, बीमारी, वित्तीय समस्याएँ, जवानों को छुट्टी की नमंज़ूरी और कभी-कभी सख्त पोस्टिंग आत्महत्या के कुछ प्रमुख कारक हैं।

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल

(Central Reserve Police Force-CRPF)

- CRPF 27 जुलाई, 1939 को **क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस (Crown Representative’s Police**) के रूप में अस्तित्व में आया। यह 28 दिसंबर, 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल बन गया।
- CRPF का मिशन सरकार को कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के शासन को प्रभावी ढंग से और कुशलता से बनाए रखने में सक्षम बनाना है, ताकि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखा जा सके और सामाजिक सद्भाव तथा विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- यह भारत के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (गृह मंत्रालय के तहत) में से एक है।